


FROM NO. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

बनाम .....  
किसम नुकदना- पत्थरगढ़ी नं. .... सन् 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख की तामील में जारी हुए
6.12.2021	<p>प्रार्थी की ओर से वकील श्री <u>कमलेश मेहता</u> ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत नया नकल जनाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किया जो बंद जांच पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया गया सक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है..कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट. के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि नौजा <u>इसिमल बहा</u> पटवार नम्बल <u>सिलौर</u> तहसील डूंगला की आराजी नम्बर ... <u>3 रकबा 0.5100</u></p> <p>रकबा <u>0.5100</u> हैक्टर/बीघा भूमि स्वयं के खातेदारी होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जिसका कोई स्थायी सीमा चिन्ह नहीं है। तथा विपक्षीय आराजी के पड़ोसी है प्रार्थी और विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है, इसलिए उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, बहस सुनी गई। प्रार्थी जैर बहस आराजी का खातेदार होकर उन्हें नपती कराने का अधिकार निहित है। अतः तहसीलदार डूंगला को <u>100/-</u> अक्षर <u>एक</u> हजार रुपये फीस पर कर्नाशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि नुकदना पत्रकारान की उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे के अनुसार बिना किसी के कब्जे कास्त ने देखल दिये नौजा .... <u>इसिमल बहा</u> पटवार नम्बल <u>सिलौर</u> तहसील डूंगला की आराजी नम्बर <u>3 रकबा 0.5100</u></p> <p>रकबा <u>0.5100</u> है/बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी मुकनमल तौर पर की जावें। पत्थरगढ़ी पालना प्रतिवेदन दिनांक <u>31/12/22</u> तक न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने संलग्न पत्रावली हो।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल सुनार होकर नम्बर से कन हो।</p>	

  
उपखण्ड अधिकारी  
डूंगला

